


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

प्रार्थना-पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
50/25	53,88,89,90,91,188 RTA	उचावद	छबड़ा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
मुकेश	बनाम	धुलीलाल	
वकील :-	श्री भानु कुमार गुप्ता	आदेश पत्रक	वकील:-
दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश		विविध संदर्भ

28.04.2025 अभिभाषक प्रार्थी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,88,89,90,91,188 RTA विरुद्ध प्रतिवादीगण के न्याया0 में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जयें सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 12.05.2025 को पेश हो।

12.05.25 आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य मे व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति मे दिनांक 12.05.25 को पेश हो।


 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
 छबड़ा (बारां)

14.5.25 अधिकाधिक जारी गज अर्थात् पत्र, वाद विद्वां किये जाते वाक्य पत्र कहे पर पत्रावली काग पत्र उद्देश्य प्रार्थना पत्र से वकील वादी अर्थात् वराना कि जारी गज उक्त उक्तवाही वाद जारी गज कब जारी जारी गज के विरुद्ध उक्त वाद पत्र माननीय न्यायालय से न्यायालय नहीं जायेंगे है चूंकि वादीगण एवं जरी वादी कब अर्थात् से राजीनामा कए चुके है कोर्ट का विवाद जारी गज एवं जरी वादी गज के अर्थ नहीं रहा है वाद पत्र विद्वां कहे का विवेक किया है

वकील वादी को हुना गज पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी गज उक्त काग काग न्यायालय नहीं जायेंगे है इसी हेतु पर विद्वां कहे जायेंगे है जारी। वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाय है वादी का वाद विद्वां किया जाय है पत्रावली केवल उक्त उक्त वाद माननीय वकील के दाखिल इफ्तल है